मांझी परगना व्यवस्था

- मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। इसी शासन व्यवस्था के तहत संथाल समूदाय अपनी दीवानी एवं फौजदारी मामलों का निपटारा किया करते थे।

संथाल / संताल

- संथाल जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है।
- संथाल जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटोऑस्ट्रोलॉयड समूह में आती है।
- 14वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध तक संथाल समूदाय का निवास स्थान है– चंपागढ(हजारीबाग) था, जिसकी राजधानी बीघा थी ।
- लोकगीतों मे इस काल को सोसोनेक युग (स्वर्ण) और होड़ सभ्यता के नाम से जिक्र किया जाता है । इस समय इस क्षेत्र का प्रशासन मांझी परगना शासन व्यवस्था से चलती थी ।
- 1340 ई. मे तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया ने छै– चंपागढ पर आक्रमण कर उसे जीत लिया । इसके पश्चात संथालों को अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा और दामिन–ए–कोह की घोषणा के बाद उन्हे निश्चित आवास मिला
- 1824 में दामिन–ए–कोह की स्थापना हुई ।

CAREER FOUNDATION
जुनून राष्ट्र सेवा का

➢ 1856 में दामिन–ए–कोह क्षेत्र में यूल यल लागु किया गया और मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गया।

मांझी परगना शासन व्यवस्था की संरचना

➢ यह शासन व्यवस्था 4 स्तरीय शासन व्यवस्था है– गांव, देश, परगना , दिशुम परगना

दिशुम परगना – कुछ क्षेत्र मे यह भी है।

परगना – 15 ासे 20 गांव – परगनैत

देश/मोड़े – 5 से 8 गांव (प्रमुख–देश मांझी)

ग्राम/गांव – प्रमुख – मांझी

CAREER FOUNDATION
जुनून राष्ट्र सेवा का

ग्राम/गांव

➢ ग्राम स्तर का प्रशासन मे मांझी, जोग मांझी , प्रणिक, गोड़ाइत, भग्दो प्रजा नायके लासेर टैंगोय तथा चौकीदार आदि होते है।

1. मांझी – यह गांव का प्रधान होता है। मांझी को दीवानी एवं फौजदारी मामलों के विवादों को निपटाने का जिम्मा होता है।

2. प्रणिक – यह गांव का उपप्रधान होता है। अपराधी को क्या दंड दिया जाए यह प्राणिक ही निश्चित करता है ।

3. गोड़इत – मांझी का सचिव एवं संदेशवाहक । कोई भी बैठक, समारोह, उत्सव, पर्व या अन्य अवसर पर ग्रामीणों को सुचित करता है। सभी को एकत्रित करता है।

4. जोग मांझी – मांझी का सहायक एवं उपसचिव गांव के युवा लड़के लड़कियो का नेतृत्व करता है । जन्म व शादी–विवाह की जानकारी रखता है। यौन अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले जोग मांझी का सुचित करता है ।

5. जोग प्राणिक – यह उप जाग मांझी होता है ।

6. भाग्दो प्रणिक – गांव के किसी भी मामले में विचार विमर्श के लिए कुछ वरिष्ठ और प्रमुख व्यक्ति

7. नायके – गांव का धार्मिक प्रधान

CAREER FOUNDATION
जुनून राष्ट्र सेवा का

8. कड़ाम नायके – नायके का सहयोगी ।

9. लासेर टैंगोय – बाहरी आक्रमण से गांव की रक्षा करता है ।

10. मांझी के आदेशनुसार दोषी को ढुढंता है उसे बंधक बना कर मांझी के समक्ष पेश करता है।

देश / मोड़े

- 5 से 8 गांव को मिलाकर एक देश होता है ।
- इसका प्रमुख देश मांझी या मोड़े मांझी कहलाता है।
- देश स्तर पर संदेशवाहक चकलादार कहलाता है।

परगना

- 15 से 20 गांव का संगठन
- इसका प्रमुख – परगनैत
- देश मांझी इसके सहायक होते है जो एक से अधिक हो सकते है।
- सभी गांवके मांझी इसके सदस्य होते है।

CAREER FOUNDATION
जुनून राष्ट्र सेवा का

दिशुम परगना

- 70 से 80 गांव का संगठन
- प्रमुख– दिशुम परगनैत
- परगना स्तर से उपर

सेंदरा बैंसी/शिकार परिषद्

- यह संथाल समाज का उच्च न्यायालय है। इसका प्रमुख देहूरी होता है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है।
- यहां पर यौन अपराधियों की सजा तय की जाती है।
- यहां किसी भी मांझी , देश मांझी और परगनैत द्वारा दी गई सजा के खिलाफ अपील किया जा सकता है।

लोबिर सेंदरा

- यह संथाल समाज का सवौच्च न्यायालय है ।
- यह पुरूलिया के अयोध्या पहाड़ में अवस्थित है।
- लोबिर सेंदरा का निर्णय अंतिम और मान्य होता है।

CAREER FOUNDATION

सजा

- करेला
  - इस व्यवस्था की सबसे छोटी सजा
  - 1.5 रू से 5रू तक जुर्माना
- बिटलाहा – सबसे कठोर सजा/यौन शोषण के मामले में समाज से बहिस्कृत किया जाता है ।

- अवैध संतान की स्थिति में बच्चे के पिता का नाम पुछा जाता है । पिजा का नाम बता देने पर युवती की शादी उस लड़के से करा दी जाती है।

पिता का नाम नही बताने की स्थिति में गांव को अपवित्र घोषित कर दिया जाता ह। गांव का शुद्धिकरण करना पड़ता है तथा गांव को भोजन करवाना पड़ता है।

CAREER FOUNDATION
जुनून राष्ट्र सेवा का